



पथ निर्माण विभाग
बिहार सरकार

अधिसूचना

संख्या- प्र07/निविदा-144/2014

3524 (5) पटना, दिनांक - 24/5/16

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-RW/NH-24035/4/2008-P&M/PIC-EPA दिनांक 31.03.2016 द्वारा संशोधित निदेश के आलोक में रु0 5 करोड़ से अधिक तथा 100 करोड़ तक के लागत के परियोजनाओं के निविदा के निष्पादन हेतु निम्न व्यवस्था निरूपित की जाती है :-

1.1 मंत्रालय के दिशा निदेश के अनुरूप विहित संविदा दस्तावेज (Bidding document) को व्यवहृत करते हुए मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के निदेशन में निविदा आमंत्रित की जाएगी।

1.2 Department of Expenditure के पत्रांक OM No. 10/3/2012-PPC दिनांक 09.01.2014 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश "Implementation of comprehensive end-to-end e-procurement" के अन्तर्गत e-Procurement विधि से निविदा आमंत्रित की जाएगी। मंत्रालय के द्वारा विहित सुविधा के अधीन ही सभी ई-टेंडर प्राप्त किया जाएगा। Department of Expenditure, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-66(43)/PF-11/2014 दिनांक 08.09.2014 के अनुसार e-Publishing प्रणाली का व्यवहार करते हुए Central Procurement Portal (CPP) पर निविदा से संबंधित सभी पृच्छा, शुद्धि पत्र, एवं निविदा पर अधिनिर्णय का विवरणी जारी किए जाएंगे। मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग द्वारा उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1.3 उक्त के अनुसार प्राप्त तकनीकी बीड का मूल्यांकन निम्न बीड मूल्यांकन समिति (Bid Evaluation Committee) द्वारा किया जाएगा :-

1.	मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	अध्यक्ष
2.	उप सचिव स्तर से अन्यून वित्त विभाग के प्रतिनिधि।	सदस्य
3.	क्षेत्रीय पदाधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, बिहार, पटना।	सदस्य
4.	अधीक्षण अभियंता (संबंधित राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल), पथ निर्माण विभाग।	सदस्य
5.	कार्यपालक अभियंता (संबंधित राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल), पथ निर्माण विभाग।	सदस्य

1.4 समिति के अनुशंसा के अनुरूप मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग द्वारा तकनीकी बीड को अनुमोदित किया जाएगा। तदनुसार इससे संबंधित वित्तीय बीड का मूल्यांकन भी समिति द्वारा किया जाएगा।

1.5 मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग द्वारा अनुशंसा सहित वित्तीय बीड अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव को विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित करने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रधान सचिव

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

गैस अफेयर्स 3625

दिनांक 03.6.16



(17) सिन्हा मिश्र

1.6 वित्तीय बीड पर बीड मूल्यांकन समिति के अनुशंसा के आलोक में निविदित राशि से 5% की अधिसीमा तक वित्तीय बीड स्वीकार करने हेतु निम्न विभागीय निविदा समिति प्राधिकृत होगा :-

1.	प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग।	अध्यक्ष
2.	अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग।	सदस्य
3.	वित्त विभाग द्वारा नियुक्त विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।	सदस्य
4.	मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	सदस्य सचिव

1.6.1 समिति में क्षेत्रीय पदाधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, बिहार पटना आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेंगे।

1.7 निविदित दर से 5% की अधिसीमा तक अनुमोदित वित्तीय बीड के आलोक में अगले 03(तीन) दिनों के भीतर मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग द्वारा कार्य आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा तथा कुल 10 दिनों के अन्दर संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा Letter of acceptance जारी किया जाएगा।

1.8 Letter of acceptance जारी होने के तीन दिनों के भीतर मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग द्वारा एक समेकित पूर्ण प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, MoRTH को भेजा जाएगा तथा इसकी एक प्रति सचिव, पथ निर्माण विभाग को प्रेषित किया जाएगा।

1.9 तदोपरान्त Request for Proposal (RFP) में विहित समय सीमा के अधीन एकरारनामा करते हुए इसकी सूचना सचिव, पथ निर्माण विभाग तथा मुख्य अभियंता MoRTH को दी जाएगी।

1.10 बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को अधिक्रमित (Supersede) करते हुए वित्तीय बीड पर विभागीय निविदा समिति द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाएगा। बीड मूल्यांकन समिति (Bid Evaluation Committee) की अनुशंसा से भिन्न निर्णय विभागीय निविदा समिति द्वारा लिए जाने की स्थिति यदि बनती है तो Bid Evaluation Committee की अनुशंसा को स्वीकार नहीं करने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुये औचित्य सहित मामला मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग द्वारा मुख्य अभियंता MoRTH को अग्रसारित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक :- प्र07/निविदा-144/2014

3525(S)पटना, दिनांक - 24/5/16

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र07/निविदा-144/2014

3525(S) पटना, दिनांक - 24/5/16

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र07/निविदा-144/2014

3525(S) पटना, दिनांक - 24/5/16

प्रतिलिपि: सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र07/निविदा-144/2014

3525(S) पटना, दिनांक - 24/5/16

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र07/निविदा-144/2014

3525(S) पटना, दिनांक - 24/5/16

प्रतिलिपि: माननीय उप मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आर्जेंट सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र07/निविदा-144/2014

3525(S) पटना, दिनांक 24/5/16

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।